

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला
 प्रकरण संख्या 102/2024 शीर्षक शिवनाथयण बनाम राज्य सरकार

दिनांक	कार्यवाही विवरण
	<p>06/09/2024 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/ अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चप्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/10/2024 को पेश हो।</p> <p>हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)</p>
<p>25/10/2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। अर्जा संख्या 01 चैरोमाट सरकार जवाब पेश करने हेतु समय चाहते हैं। अंतिम अवसर दिना जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब 22/11/2024 को पेश है।</p>
<p>22/11/2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। अर्जा संख्या 01 चैरोमाट सरकार जवाब पेश करने हेतु समय चाहते हैं। अंतिम अवसर दिना जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10/12/2024 को पेश है।</p>
	<p>10/12/2024 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चप्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 03/01/25 को पेश हो।</p> <p>हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)</p>
<p>03/01/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। अर्जा संख्या 01 चैरोमाट सरकार जवाब पेश करने हेतु समय चाहते हैं। अंतिम अवसर दिना जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 07/02/2025 को पेश है।</p>

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द
 प्रकरण संख्या 182/2021 शीर्षक खिलनारायण बनाम राज्य सरकार

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हरताक्षर / सूचना नं.
	<p>7/2/2025</p> <p>पतावली पेश हुई / उभय पक्ष उपाखीता प्रकरण में अर्थात् ए. 01 पेशीदार सरकार द्वारा धमक दे जवाब पेश नहीं करना चाहा एवं पतावली रिपोर्ट पर बहस हेतु भिलेना किया। उभय पक्ष की बहस पूर्ण गई, बहस पर मजबूत किया गया। पतावली फंम देवाढ कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि राजस्व ग्राम देवाढ कि गत जमात खाला ए. 1348 भा. नं. 5133/3023 अर्थात् के नाम खालेदारी दर्ज रिपोर्ट है। वस्तु लक्ष्मी लैण्डमेन्ट विभाग के पुराने भारणी संख्या 5133/3023 के नवीन भा. नं. 3335 कायम कर रकबा 0.3100 हेक्टेयर कर भा. नं. 5133/3023 के कुल रकबा 0.1100 हेक्टेयर कम कर किया गया है। एवं नवीन भा. नं. 3335 नगरपालिका देवाढ के नाम दर्ज रिपोर्ट है।</p> <p>उक्त विवेचन के आधार पर नगरपालिका देवाढ को कुने बिना उक्त वादग्रस्त धूमि के इन्डॉर सुर्जे किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होगा एवं अर्थात् धूमि के स्वामित्व हेतु दोषबालमक दावा पेश करे।</p> <p>उक्त धूमि का क्षेत्र 136, 131, 132 अन्तर्गत भा. राज. नं. 2. रा. 0 भा. धी. वि. भा. खालेज किया जाना है। पतावली फिल्ल सुभार को नम्बर ले कम की अर्थात्</p>	

सहायक कलक्टर
 देवगढ़, जिला-राजसमन्द